

19/10
22

अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय प्रार्थना
पत्र आ. न नि. 11 CPC अलग से
लिखवाया जाकर बुनाया गया।
प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र आ.
न नि. 11 CPC स्वीकार किया जाकर
वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा
188, 92A RTA इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पचा डिक्री इस आशय
की जारी हो। पत्रावली निर्णय होकर
गम्वर से कम होकर दाखिल स्फुट हो।



उपसचिव अदालत (राजकोट)
श्री कल्याणपुर